न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बइजलास :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मु0न0:– 104/2016

निर्णय दिनांकः– 23.5.2017

कजोड पुत्र स्व0 श्री गोविन्दनारायण जाति जाट निवासी खुसर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. कमला देवी पत्नि भंवरलाल जाति जाट
2. भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट,
3. जगदीश पुत्र गिरदारी जाति जाट
4. नारायणी देवी पत्नि जगदीश जाति जाट समस्त निवासीयान ग्राम श्रीराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
5. मन्नी देवी पत्नि गोपीराम जाति जाट निवासी ग्राम रैनवाल मांजी तहसील फागी जिला जयपुर।
6. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
7. उपतहसीलदार माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ताः– श्री सुनील जोशी वकील वादी
श्री विनय कुमार जैन वकील प्रति0 सं0 1 लगायत 4
श्री प्रेम चन्द शर्मा वकील प्रति0 सं0 5

–:: वाद तरमीम नक्शा ट्रेस व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: निर्णय ::– दिनांक 23.5.2017

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 148/177 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 148/178/1 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा इस प्रकार कुल किता 02 कुल रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा भूमि वाके ग्राम श्रीराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है इसी अनुसार उक्त आराजीयात का वादी रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार है

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

लगातार...............2

व खसरा नम्बर 148/178/2 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि वाके ग्राम श्रीराजपुरा तहसील फागी स्थित आराजी के प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं काबिज होकर लगान सरकार को अदा कर रहे है। उक्त आराजी के पूर्व में एक ही नम्बर 148/178 था जिसका तकासमा होने पर अलग अलग डले परन्तु वास्तविक भौतिक कब्जे अनुसार लगान की फाट बन्दी की गई। उस समय नक्शा ट्रेस में स्थाई तरमीम नही हो सकी व वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के खाते अलहदा अलहदा नही हो सके जबकि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 अपने हिस्सेनुसार काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। नक्शा ट्रेस में उक्त नम्बर जो पूर्व में था उसी अनुसार आज भी दर्ज है। तरमीम नही होने से एक दुसरे को दबाते रहते है। पटवारी हल्का से पेमाईस करवाने पर भी स्थाई नाप नही हो पाती एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 अपनी मन मर्जी से सीमा ज्ञान करवाते रहते है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने कही बार हल्का पटवारी व नायब तहसीलदार माधोराजपुरा को निवेदन किया परन्तु उक्त आराजी की स्थाई तरमीम नही हो सकी जिससे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 आये दिन वादी के हिस्से व कब्जे की आराजी को दबाते रहे है। हाल ही मे खरार व प्लाव काटने पर वादी अपने हिस्से की आराजी पर काश्त करने गये तो मेर कोर को लेकर प्रतिवादीगण काहासुनी हो गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की नियत और खराब हो गई जो वादी के हिस्से की आराजी को ओंर दबाने की धमकी देने लगे मना करने पर कहने लगे की एक खेत है। हमारी मर्जी से अनुसार काश्त करेगे एवं बैचान करके तुम्हारे को कब्जे काश्त से बेदखल करवायेगे। तुम्हे तुम्होर हिस्से से लाठी के बल पर बेदखल कर देगें। वादी शान्ति प्रिय व्यक्ति है। जो अपने हिस्से से आयी आराजी को काफी रूपये खर्च कर व मेहनत कर उन्नत व उपजाउ बना ली है। इस लिये यह वाद बाबत तरमीम नक्शाट्रेस व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना लाजमी आया है।राजस्व कर्मचारीयों ने नक्शा ट्रेस में तकासमे व फाट बन्दी अनुसार तरमीम न कर भंयकर त्रृटी ही है। जिससे पक्षकारन में सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न हों गया है। वाद तरमीम होने से तहसीलदार फागी व उपतहसीलदार माधोराजपुरा को लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार कायम किया है तथा किसी प्रकार का राजस्व रिकार्ड में फेर फार होने की दशा में तरतीबी प्रतिवादी कायम किया गया है। वाद कारण दिनांक 10.04.2013 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 द्वारा वादी की कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने तथा बैचान करने की धमकी देने से भी उत्पन्न हुआ है पक्षकारान का निवास स्थान व विवादग्रस्त आराजी श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वाद का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की और से वकील श्री वियन कुमार जैन ने वकालतनामा पेश किया तथा

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

लगातार..............3

प्रतिवादी संख्या 5 की और से वकील श्री प्रेमचन्द शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। तथा तहसीलदार फागी ने जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा तहसीलदार फागी ने अपने जबाब के तथ्यो में बताया की ख0न0 148/178 रकबा 9.15 बीघा एक ही ख0न0 था। जिसमें से वादी द्वारा विक्रय पत्र द्वारा क्रय करने पर नामान्तकरण संख्या 193 दिनांक 18.6.1999 के द्वारा ख0न0 148/178 में से 6.07 बीघा भूमि वादी के नाम दर्ज रिकार्ड हुई है। जिसमें पटवारी द्वारा तत्समय अलग ख0न0 डालकर वादी के हिस्से को 148/178/1 व शेष भूमि जो प्रतिवादीगण के नाम रही थी उसमें 148/178/2 अंकित किया हुआ है उक्त मूल ख0न0 का कोई विभाजन व तरमीम नही हुई है। वकील प्रतिवादीगण ने जबाब नही देकर सीधी बहस किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यो दौहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने भी वाद पत्र के तथ्यो को स्वीकार करते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नही की। तथा डिक्री किये जाने पर सहमति प्रकट की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेंजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर हम वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0न0 148/177 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 148/178/1 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा भूमि वाके ग्राम श्रीराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी के मूल ख0न0 148/178 में पक्षकारान के हिस्सेनुसार व मौके पर कब्जेनुसार स्थाई तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दााखिल दफतर रहे।

निर्णय आज दिनांक 23.5.2017 को केम्प कोर्ट चित्तौडा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

कजोड बनाम कमला देवी वगै0
मु0न0:– 104/2016

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी फागी(जयपुर)

बइजलास– **सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)**

उनवान

कजोड पुत्र स्व0 श्री गोविन्दनारायण जाति जाट निवासी खुसर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

बनाम

कमला देवी पत्नि भंवरलाल जाति जाट निवासीयान ग्राम श्रीराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर वगै0

::– वाद तरमीम नक्शा ट्रेस व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 104/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0न0 148/177 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 148/178/1 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा भूमि वाके ग्राम श्रीराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी के मूल ख0न0 148/178 में पक्षकारान के हिस्सेनुसार व मौके पर कब्जेनुसार स्थाई तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है

निज..................मुबलिग..................बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..................फीसदी..........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.......... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/5/2017 को जारी की गई।

दस्तखत..................
उपखण्ड अधिकारी

मुहर

ओहदा..................
फागी (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	— Nil —		फीस कमीश्नर	— Nil —	
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर